Email: cswriavikanagar@yahoo.com दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

Dated 15-9-2017

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Job contract work for Division of Animal Genetics and Breeding of the Institute for helping in research related activities prolificacy in sheep at sector no 12** at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.**

Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	SP/contract Proposal/2017-18/
Date and Time for issue/Publishing	15-09-2017, 3.00 PM
Document Download/Sale start date and time	17-09-2017, 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	22-09-2017, 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	06-10-2017, 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	07-10-2017, 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.500/- Earnest money – Rs.17,300/- Security money – 5-10 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India, Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Administrative Officer

INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: https://eprocure.gov.in. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**

2- Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.

3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.

4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.500/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

5- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank **in favour of ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**

7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of ESI and EPF Registration
4. Scanned copy of D.D. of Tender Fee
5. Scanned copy of D.D. of E.M.D.
6. Scanned copy of acceptance letter
7. Any additional required documents mentioned in the Terms and conditions of the Tender

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer

स्वीकारोक्ति पत्र

संस्थान के पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग के अधीन सेक्टर नम्बर 12 पर स्थित भेड़ों में अनुसंधान कार्यो में सहायता करने से संबंधित कार्य का अनुबन्ध/जोब कोन्टेक्ट

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग के अधीन सेक्टर नम्बर 12 पर स्थित भेड़ों में अनुसंधान कार्यो में सहायता करने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में अनुबंध /जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि मैं प्रभारी, पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या मेरे प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझें व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यो का पूर्ण ज्ञान है।

मै यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक ————————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

ए0जी0बी0 विभाग के अन्तर्गत सैक्टर न.12 पर कराये जाने वाले कार्य का विवरण :–

1. सैक्टर नं. 12 पर उपलब्ध कुल भेड़ों/मेढ़ों की अनुमानित संख्या 600 है जो कि संस्थान की आवश्यकतानुसार समय–समय पर कम या अधिक हो सकती हैं।
2. अनुबन्धकर्ता को सैक्टर पर उपलब्ध सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी सम्पति एवं जानवरों की सुरक्षा करनी होगी।
3. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में सेक्टर व उसके आस पास के क्षेत्र की समुचित निगरानी व सुरक्षा करनी होगी। साथ ही सेक्टर के आस–पास आने वाले आवारा जानवरों को भगाते हुये प्रक्षेत्र क्षेत्र/सेक्टर की सुरक्षा करनी होगी।
4. अनुबन्धकर्ता को चराई के दौरान संस्थान के जानवरों की जंगली जानवरो से सुरक्षा करनी होगी।
5. जानवरों की चराई का काम निम्नलिखित समयानुसार होगाः–
   ((1) माह अप्रेल से अगस्त तक — प्रातः 6–30 बजे से सायं 6–30 बजे तक (अवकाश समय के साथ)
   (2) माह सितम्बर से मार्च तक — प्रातः 7–30 बजे से सायं 6–00 बजे तक (अवकाश समय के साथ)
6. चराई के बाद जानवरों को प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित किये गये स्थान पर रखना होगा एवं उनकी रखवाली/सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी होगी। संस्थान की आवश्यकतानुसार किसी भी सेक्टर के जानवरों को दिन में चराई के बाद रात्रि के समय निर्धारित स्थान के अतिरिक्त दूसरें स्थान पर भी रखे जा सकते है तथा उनकी रखवाली व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी।
7. किसी भी भेड/मेढ़ा/मेंमने की मृत्यु होने पर उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, सेक्टर को देनी होगी ताकि उसके पोस्टमार्टम/चीरफाड आदि की व्यवस्था समय पर की जा सके। चरागाह/सेक्टर पर मृत जानवर को गाडी में डालने की व्यवस्था भी स्वयं अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी। किसी कारणवश गाड़ी उपलब्ध नही होने पर मृत जानवर को पेास्टमार्टम के लिये स्वयं के साधन पर लाद कर पहुँचाना होगा।
   (क) जानवरों का उपचार करते समय जानवरों को पकडने के लिए जरूरी सहायता भी अनुबन्धकर्ता को देनी होगी।
   (ख) समय–समय पर अलग–2 स्थानों पर किये जाने वाले प्रयोगात्मक कार्यो मे सहायता करनी होगी।
8. भेड़ों के ब्याते ही उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि को देनी होगी एवं भेड़ एवं उसके बच्चे को सेक्टर पर लाना होगा।
9. भेड़ों/मेढ़ों को चरागाह क्षेत्र में चराने के साथ–2 समयानुसार पेडों की छंगाई करके पत्तियां भी खिलानी होगी। पेड़ों की छंगाई उचित रूप (वैज्ञानिक तरीके) से करनी होगी तथा जब कभी जानवरों को दाना/चारा आदि देना हो तो यह कार्य भी अनुबन्धकर्ता को करना होगा। दाना व चारा संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।
10. सैक्टर पर आपूर्ति चारे की सुरक्षा तथा व्यवस्थित रूप से सुरक्षित स्थान पर रखना सुनिश्चित करना होगा।
11. अनुसंधान के दृष्टिकोण से सभी भेड़ों/मेढ़ों/मेमनों को चराई के लिए निम्नानुसार ले जाया जावेगा–
    (क) तीन माह से छोटे बच्चें।
    (ख) 3 माह से 12 माह तक के मेंमनें/बच्चें जो कि नर एवं मादा अलग–2 हो।
    (ग) <u>भेड़ों/मेढ़ों के रेवड निम्न प्रकार होगें:–</u>
    (अ) ब्याई हुई <u>भेड़ें</u> (ब) ग्याबिन <u>भेड़ें</u> (स) बिना ब्याई <u>भेड़ें</u>
    (द) कमजोर व बीमार (आवश्यकतानुसार) (य) नर रेवड

9. भेड़ों/मेढ़ों/मेमनों के बाड़ों/ट्रफों की नियमित रूप से सफाई करनी होगी, खाद व कचरे को बताये अनुसार निर्धारित स्थान पर डालना होगा तथा पानी की खेलियों/ट्रफों की भी नियमित रूप से सफाई करनी होगी।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त अनुबन्धकर्ता को निम्नलिखित कार्यें करने होंगें:–

(क) बीमार जानवरों के ईलाज व देखभाल/टीका लगाना, ड्रेसिंग करवाना एवं सैक्टर पर बीमार जानवरों के लिये दाना व पानी का अलग से प्रबन्ध करना होगा।

(ख) भेड़ों/मेढ़ों को साल में दो बार दवा के पानी से स्नान करवाना होगा। ऊन कल्पन से पहले साफ पानी से नहलाना तथा उक्त कार्य के लिये डिपिंग टैंक को उपयोग में लाने से पूर्व एवं उसके बाद भी साफ करना होगा।

(ग) आवश्यकतानुसार भेड़ों/मेढ़ों के मेमनों/बच्चों का वजन करवाना, ऊन कल्पन के दौरान जानवरों को सेड़ में पहुँचाना, जांच के लिये जानवरों के रक्त के नमूने लेने के दौरान तथा खुरों एवं उनके बाल काटना, साथ ही संक्रमण से बचाने के लिये नियमित सफाई एवं सक्षम अधिकारी/प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार जानवरों के शरीर से बाल काटना होगा।

(घ) भेड़ों के मदकाल की जांच के लिये सुबह व शाम को मेढ़ों को सक्षम अधिकारी/प्रभारी सेक्टर के निर्देशानुसार रेवड़ में छोड़ना होगा। मद में आई भेड़ों कों अलग करना तथा सही प्रजनन के बाद गर्भित भेड़ों को अलग करना होगा। नवजात मेंमनों/बच्चों की देखभाल करना, टेग लगवाना, पूँछ कटवाना, खूर कटवाना तथा गोदने के कार्य में भी सहायता करना/ करवाना होगा ।

(ङ) दाने को ट्रोली में भरकर सैक्टर पर खाली करना, भेड़ों/मेढ़ों के लिये चारे के शेड से चारा बाड़े मे लाना आदि। ब्याई हुई भेड़ों के बाडे में चारा/घास की व्यवस्था करनी होगी। नया चारा डालने से पहले बताये अनुसार चारे के सेड की सफाई करनी होगी। अनाथ बच्चों व उन बच्चों को जिन्हें उनकी मां दूध नहीं पिलाती है उनकी विशेष देखभाल करनी होगी।

(च) वर्ष में कम से कम दो बार भेड़ों के सभी बाडों के अन्दर एवं बाहर कम से कम 6 इन्च मिट्टी की खुदाई करके मिट्टी को प्रभारी, सेक्टर द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर बाहर डालना होगा तथा कीटाणु रहित नई मिट्टी डालनी होगी। सेक्टर के अन्दर व बाहर उगी हुई खरपत वार को हटाकर साफ सफाई सेक्टर प्रभारी के निर्देशानुसार करनी होगी।

11. अनुबन्ध की अवधी के दौरान सेक्टर नं.12 पर नये पौधें लगाने व लगे हुये पेड़–पौधों की देखरेख करनी होगी एवं उनकों पानी पिलाना होगा।
12. अनुबन्ध की अवधि में सम्बन्धित सैक्टर के पत्र/डाक आदि कार्यालय मे पहुचाने के व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।

अनुबन्धकर्ता द्वारा उपरोक्त द ाये अनुसार कार्य नहीं करने पर निम्नानुसार कटौतियाँ की जावेगीः–

1. सेक्टर व सेक्टर पर उपलब्ध सभी बाड़ों की प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार प्रतिदिन सफाई नहीं करने पर 400/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी।
2. यदि नाजायज मेंमना/बच्चा पैदा होता है तो उसका जुर्माना 1 से 5 बच्चों तक की राशि रू.400 बच्चा, 6 से 10 मेंमनों/बच्चों तक की राशि रू. 600 प्रति मेंमनों/बच्चा तथा 10 से अधिक बच्चों पर 1000 रू प्रति बच्चें के हिसाब से जुर्माना देय होगा। नाजायज जुड़वा बच्चे पैदा होने पर जुर्माना की राशि सिर्फ एक बच्चे के बराबर ही वसूल की जायेगी।
3. भेड़ों/मेढ़ों की चराई संतोषजनक न होने पर एवं उनके वजन घटने पर अनुबन्धकर्ता के भुगतान के बिल मे से वजन के अनुपात में कटोती की जायेगी।
4. भेड़ों/मेढ़ों/मेमनों को चराते समय जंगली जानवरों का हमला/शिकार हो जाने की स्थिति में प्रभारी को सूचना उपरान्त, विभागीय/स्वीकृत समिति की जांच के बाद उनकी अनुशंषा पर भेड़ों/मेढ़ों/मेमनों की किताबी कीमत (बुक वेल्यू) की कटौती, चरवाहे की लापरवाही/सतर्कता व बचाव प्रयास पर निर्भर होगी।
5. जानवरों को नहलाते समय अनुबंधकर्त्ता की लापरवाही से यदि किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इसके लिए जानवर की बुक वेल्यू हर्जाने के रूप में वसूल की जावेगी ।
6. यदि अनुबन्धकर्ता परिस्थितिवस समय से पूर्व अनुबन्ध समाप्त करना चाहे तो संबंधित सेक्टर प्रभारी को एक माह पूर्व सूचित कर अनुबन्ध समाप्त कर सकता है परन्तु इसके लिए उसकी जमानत राशि जब्त की जावेगी। साथ ही अनुबन्धकर्ता अगर बिना सूचना के अनुबन्ध छोड़ता है तो उसका संस्थान में प्रवेश वर्जित करने के उपरान्त उसकी जमानत राशि जब्त करते हुए उसे ब्लेक लिस्टेड किया जावेगा।
7. अनुबन्धकर्ता की लापरवाही से भेड़/मेढ़ा/मेमनों के गुम अथवा खो जाने की स्थिति में जानवर की बुक वेल्यू का दो से पांच गुना हजार्ना वसूला जावेगा।
8. अनुबन्धकर्ता को समय–समय पर अलग–2 स्थानों पर किये जाने वाले प्रयोगात्मक कार्यो मे सहायता करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर प्रयोगात्मक कार्य करवाने हेतु आने वाला खर्च अनुबन्धकर्ता से वसूला जावेगा।
9. प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार बाड़ों की खुदाई नहीं की जाती है तो संबंधित प्रभारी बाड़ो की खुदाई करवाएगा तथा खुदाई कार्य में लगने वाला खर्च अनुबन्धकर्ता से वसूला जावेगा।
10. बाड़ों में ट्रेक्टर द्वारा मिट्टी डालते समय बाडों में लगी हुई चेंनलिंक फेंन्सिंग को कोई नुकसान नही होना चाहिये यदि किसी तरह का नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता के देय बिल मे से की जायेगी जिसके लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. उक्त कार्य के लिये अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रतिनिधि का समय पर प्रबन्ध नही होने पर उस कार्य के लिये सक्षम अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के वेतन/मजदूरी का भुगतान अनुबन्धकर्ता को करना होगा यदि संस्थान द्वारा नियमित कर्मचारी/मजदूर लगाया जाता है तो उस कर्मचारी/मजदूर के उस दिन का वेतन के बराबर राशि की कटोती भी अनुबन्धकर्ता के देय बिल में से की जायेगी।
12. अनुबन्धकर्ता को सैक्टर पर उपलब्ध सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी सम्पति के चोरी/खो जाने पर उसकी कीमत की भरपाई अनुबंधकर्त्ता को करनी होगी ।
13. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोश्जनक नहीं होने पर अथवा कार्य में किसी भी प्रकार की ि।थिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से रा ि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत रा ि जब्त करली जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी।

अनुबंध की सामान्य नियम व शर्ते

1. अनुबन्ध की कार्य आदेश जारी होने की तिथि से प्रथमद्रष्टया 1 से 3 माह के लिए देते हुए अनुबन्धकर्ता का कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में संबंधित प्रभारी की अनुशंषा से अनुबन्ध को वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक से दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
2. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
3. भेड़ों में लगाये गये श्रमिक तथा चरवाहे कम से कम बदले जावेगें। साथ ही चरवाहा बदलने से पूर्व सेक्टर प्रभारी/प्रतिनिधि से अनुमति लेनी होगी। हर रोज बदला हुआ श्रमिक स्वीकार्य नहीं होगा।
4. सैक्टर पर स्थित भेड़ों/मेढ़ों के साथ कोई अन्य निजी जानवर नही रख सकेंगे ।

5. अनुबन्ध की अवधि में अनुबन्धकर्ता अगर प्रक्षेत्र क्षेत्र/सेक्टर के आस पास किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखता है तो उसकी सूचना संबंधित सेक्टर प्रभारी व प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग को देनी होगी।
6. अनुबन्धकर्ता को जानवरों की चराई सेक्टर प्रभारी द्वरा निर्धारित चरागाह क्षेत्र में समयानुसार चराना होगा साथ ही प्राकृतिक आपदा जैसे–आंधी, तूफान, अत्यधिक सर्दी, अधिक वर्षा, खराब मौसम होने अथवा सैक्टर से सम्बन्धित आवश्यक कार्य होने की स्थिति में प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि के आदेशानुसार जानवरों को सैक्टर पर लाना होगा।
7. जानवरों की चराई से सम्बन्धित कार्य संस्थान परिसर में संबंधित प्रभारी द्वारा निर्धारित चरागाह क्षैत्र में ही चराना होगा। बिना प्रभारी की अनुमति के चरागाह क्षेत्र नहीं बदला जावेगा।
8. किसी भी जानवर के बीमार होते ही उसकी सूचना तत्काल प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि को देनी होगी।
9. अनुबन्धकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
10. सेक्टर से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी सेक्टर/उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करना होगा ।
11. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
12. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले सं ोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार आयकर/जी.एस.टी. एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज रा ि की भी कटौती की जावेगी।
13. आकस्मिक अवस्था में आवश्यकतानुसार किसी भी अनुबन्धकर्ता को अन्य सेक्टरों का कार्य निर्धारित दरों पर दिया जा सकता हैं।
14. भेड़ों/मेढ़ों को चराने, सुरक्षा एवं उनकी देखभाल से सम्बन्धित कार्य के अनुबन्ध के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।
15. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर नि िचत समय अवधि 30–45 दिन में किया जावेगा।
16. ठेकेदार को अनुबन्घ की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
17. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान–पत्र आव यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
18. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 6 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि को जब्त कर लिया जावेगा।
19. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
20. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदे ाक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान अथवा उनके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर को होगा। जिसे दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा।
21. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
22. सफल ठेकेदार को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडि ियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
23. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।